पत्रांक :—7/नियो० 1—14/2013 अंश 'क' ....95......

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

डॉ० धर्मेंद्र सिंह गंगवार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव।

पटना, दिनांक :— 25.01.2016.

विषय :— **राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू एवं बंगला विषय में संशोधित शिक्षक नियोजन नियमावली 2015 के अनुसार कैम्प के माध्यम से शिक्षकों के नियोजन करने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के तहत् नियोजन की कार्रवाई सम्बन्धित नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है। उक्त नियमावली के नियम 11(ड) (i) के तहत् यह प्रावधान है कि नियोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा—निर्देश निर्गत किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थी को समय पर नियोजन पत्र मिल सके। उपलब्ध सूचना के आधार पर अंकनीय है कि उर्दू एवं बागला विषय के लिए बड़े पैमाने पर रिक्ति उपलब्ध रह गई है।

उक्त पृष्टभूमि में नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ शीध्र पूर्ण करने के उद्देश्य से संशोधित नियमावली के उक्त प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू एवं बंगला विषय के पद पर नियोजन कैम्प के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। कैम्प के माध्यम से नियोजन पत्र वितरण की प्रक्रिया को सम्पन्न करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :—

(i) प्रत्येक नियोजन इकाई के द्वारा कोटिवार रिक्ति के 10 गुणा तक कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची नियोजन पत्र वितरण के लिए आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) नियोजन इकाईवार उक्त मेधा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना एवं कैम्प स्थल की सूचना जिला के NIC के वेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त पद छोड़ कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिये जाने के फलस्वरुप रिक्त हुए पद पर भी नियोजन किया जाएगा। ऐसे पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोड़ा हो।

(iii) नियोजन हेतु कैम्प में अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ—साथ TET उत्तीर्णता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी को नियोजन पत्र देने के क्रम में

C:\Users\hcl\Desktop\01\Sachiv Letter .doc

उनका TET का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा ताकि दूसरे अभ्यर्थी को नियोजन का मौका मिल सके।

(iv) वैसे नियोजन इकाई भी इस कैम्प में सम्मिलित होंगे जहाँ नियोजन हेतु पूर्व में नियोजन पत्र निर्गत नहीं हो सका था। ऐसे नियोजन इकाई भी उपलब्ध रिक्ति के 10 गुणा तक कोटिवार अभ्यर्थियों की सूची नियोजन पत्र वितरण के लिए आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेधा के अनुसार प्रकाशित करेगें।

(v) ***सम्बन्धित अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई अन्तर्गत नियोजित होने हेतु इच्छुक होंगे वे नियोजन इकाई को पूर्व से ही चिंहित कर लेंगे। कैम्प दिवस पर इच्छित नियोजन इकाई से सम्बन्धित काउन्टर पर पूर्वाह्न 10:30 बजे उपस्थित रहेंगे। नियोजन इकाई द्वारा वरियता के अनुसार अभ्यर्थी को पुकारा जाएगा।*** अभ्यर्थी को पुकारने का क्रम कोटिवार यथा अनारक्षित (पुरूष/महिला) कोटि, अनारक्षित (महिला) कोटि, पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) कोटि, पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला) कोटि, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला) कोटि, अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला) कोटि, अनुसूचित जाति (महिला) कोटि, अनुसूचित–जन जाति (पुरूष/महिला) कोटि, अनुसूचित–जन जाति (महिला) कोटि एवं आरक्षित वर्ग की महिला (RF) होगा। जिस नियोजन इकाई में निःशक्त अभ्यर्थी के लिए पद आरक्षित होगा वहाँ निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष दिया जाए। ***एक अभ्यर्थी को तीन बार पुकारा जाएगा। अगर वह उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के अभ्यर्थी को इसी प्रकार तीन बार पुकारा जाएगा। इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। वरियता सूची से सभी अभ्यर्थी को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है और उपर्युक्त सूची में छूटे हुए अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु इच्छुक होंगे तो नियोजन इकाई उनकी नियुक्ति कर सकेंगे। कैम्प दिवस पर नियोजन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद अनुपस्थित अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व समाप्त माना जाएगा।***

(vi) **कैम्प तिथि को नियोजन हेतु निर्धारित कालावधि पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा Close कर दिया जाएगा।** इसका अवलोकन जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा करते हुए अपने कार्यालय का मोहर भी पंजी पर लगा दिया जाएगा।

(vii) संलग्न तालिका के अनुसार कैम्प का आयोजन **पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक** आहूत किया जाएगा।

(viii) नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत एवं प्रखण्ड नियोजन ईकाइ का कैम्प जिला स्तर पर एवं पंचायत नियोजन ईकाइ का कैम्प प्रखण्ड मुख्यालय स्तर पर आहूत किया जाएगा।

(ix) जिला शिक्षा पदाधिकारी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी से विमर्श कर जिला स्तर पर कैम्प के लिए स्थान निर्धारित कर इसकी सूचना सभी नियोजन इकाईयों को दे देंगे ताकि नियोजन इकाईयों के द्वारा समय पर सूची प्रकाशित किया जा सके एवं नियोजन हेतु तैयारी के साथ निर्धारित स्थान पर कैम्प किया जा सके। नियोजन के लिए उक्त सूची का प्रकाशन सम्बन्धित जिला के वेबसाईट, नियोजन इकाई के सूचनापट्ट के साथ–साथ कैम्प स्थल के सूचनापट्ट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। स्थल चयन के क्रम में कैम्प में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के अनुमानित संख्या, कैम्प के लिए काउन्टर की व्यवस्था, प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था, उपस्कर एवं अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना वांछनीय होगा।

(x) अभ्यर्थियों को सम्यक् सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु कैम्प स्थल पर केन्द्रियकृत सूचना केन्द्र (Enquiry Counter) का गठन किया जाना आवश्यक होगा।

(xi) जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर आहूत होने वाले कैम्प में सम्मिलित होने हेतु सम्बन्धित नियोजन इकाई को जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यक निदेश दिया जायेगा। कैम्प में नियोजन इकाई के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि मुखिया/प्रमुख/मुख्य पार्षद/सभापति/मेयर निर्धारित तिथि पर कैम्प में उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि पर कैम्प में उपस्थित नहीं होंगे तो उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(xii) नियोजन पत्र का वितरण कैम्प दिवस पर ही हाथों–हाथ कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में कैम्प तिथि से 03 (तीन) दिनों के अन्तर्गत नियोजन पत्र निर्गत कराकर हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक से सम्प्रेषित करा दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में नियोजन पत्र निर्गत माना जाएगा एवं संबंधित नियोजन इकाई के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए।

(xiii) कैम्प स्थल पर विडियोग्राफी (समय एवं तिथि के साथ) की व्यवस्था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कराई जाएगी।

(xiv) कैम्प स्थल पर बड़े सख्या में अभ्यर्थियों की उपस्थिति अपेक्षित है। इस हेतु कैम्प स्थल पर विधि व्यवस्था का समुचित संधारण करने हेतु जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

(xv) जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा कैम्प के माध्यम से नियोजन पत्र वितरण की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तरीय कैम्प के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु एक वरीय पदाधिकारी यथा अपर जिला दण्डाधिकारी/उप विकास आयुक्त की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रखण्ड के लिए चिह्नित प्रभारी पदाधिकारी (वरीय उप समाहर्त्ता) प्रखण्ड स्तरीय कैम्प का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी भी अपने स्तर से प्रखण्ड स्तरीय कैम्प का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कराएगें।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाए कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

(xvi) नियोजन प्रक्रिया को कैम्प के माध्यम से निर्धारित तिथि पर पूर्ण कराने में शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर पर शिथिलता यदि दृष्टिगत होगी तो संबंधित के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई प्रारंभ करने की बाध्यता होगी।

(xvii) **विभागीय आदेश/ज्ञापांक–1769 दिनांक 24.11.2014 से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अन्तर्गत बेसिक ग्रेड एवं स्नातक ग्रेड में नियोजन की प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं समय तालिका प्रकाशित की गई थी। इसके क्रम में संसूचित करना है कि उर्दू एवं बंगला विषय के पद को छोड़कर शेष सभी विषयों के पद पर बेसिक ग्रेड एवं स्नातक ग्रेड पर नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण माना जाय और ऐसे पदों पर नियोजन की कार्रवाई नहीं की जाय। माननीय उच्च न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन में उक्त पदों पर नियोजन करने के पूर्व विभाग से सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।**

अतः आप से अपेक्षा होगी कि विभाग द्वारा निर्धारित उक्त प्रक्रिया एवं कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में आप सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ० धर्मेंद्र सिंह गंगवार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–7/नियो० 1–14/2013 अंश 'क' 95 पटना, दिनांक– 25.01.2016.

प्रतिलिपि :– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

C:\Users\hcf\Desktop\01\Sachiv Letter.doc

जिलावार प्रारंभिक शिक्षकों (उर्दू एवं बंगला विषय) के लिए नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रम

		नगर एवं प्रखंड शिक्षक के लिए		पंचायत शिक्षक के लिए			
क्र० सं०	जिलों का नाम	कैम्प आयोजन की तिथि एवं स्तर	कैम्प लगानेवाले नियोजन इकाई का प्रकार	कैम्प आयोजन की तिथि एवं स्तर	कैम्प लगानेवाले नियोजन इकाई का प्रकार	कैम्प आयोजन की तिथि एवं स्तर	कैम्प लगानेवाले नियोजन इकाई का प्रकार
1.	(1) पटना (2) किशनगंज (3) बांका (4) मधुबनी (5) सिवान (6) शिवहर (7) शेखपुरा (8) सुपौल (9) पश्चिम चम्पारण (10) रोहतास	01.02.2016 जिला स्तर पर	नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड नियोजन इकाई (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)	02.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रथम आधा (50%) पंचायत	03.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शेष आधा (50%) पंचायत
2.	(11) नालन्दा (12) अररिया (13) बक्सर (14) कैमूर (15) भागलपुर (16) दरभंगा (17) गोपालगंज (18) सीतामढ़ी (19) औरंगाबाद (20) मुंगेर (21) मधेपुरा (22) वैशाली	03.02.2016 जिला स्तर पर	नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड नियोजन इकाई (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)	04.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रथम आधा (50%) पंचायत	05.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शेष आधा (50%) पंचायत
3	(23) गया (24) भोजपुर (25) पूर्वी चम्पारण (26) सहरसा (27) कटिहार (28) अरवल (29) समस्तीपुर (30) सारण (31) नवादा	05.02.2016 जिला स्तर पर	नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड नियोजन इकाई (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)	06.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रथम आधा (50%) पंचायत	08.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शेष आधा (50%) पंचायत
4	(32) पूर्णिया (33) लखीसराय (34) खगड़िया (35) मुजफ्फरपुर (36) जहानाबाद (37) बेगूसराय (38) जमुई	08.02.2016 जिला स्तर पर	नगर निगम, सभी नगर परिषद, सभी नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड नियोजन इकाई (स्नातक एवं बेसिक ग्रेड के लिए)	09.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रथम आधा (50%) पंचायत	10.02.2016 प्रखण्ड स्तर पर	अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शेष आधा (50%) पंचायत

नोटः– कैम्प हेतु स्थल का चयन जिला पदाधिकारी की सहमति से जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।